



सामाजिक सुरक्षा संगठन
Social Security Organisation

कोयला खान भविष्य निधि संगठन
COAL MINES PROVIDENT FUND ORGANISATION
(भारत सरकार कोयला मंत्रालय का एक सांविधिक निकाय)
(A Statutory Organization under Ministry of Coal, Government of India)

आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER

पुलिस लाईन, / POLICE LINE,
धनबाद / DHANBAD
पिन / PIN-826014
(झारखण्ड) / (JHARKHAND)
फोन नं० / Phone No.- 0326-2202114
email : commissioner@cmpfo.gov.in
Website:- www.cmpfo.gov.in

No. CMPFO/CP/116(7)/Gazette Notification/Vol-IV/128

दिनांक 2 मार्च, 2023

To,

1. The Chairman
Coal India Limited, Coal Bhawan,
Premise No.- O4 MAR. Premise No.-
AF-III. Action Area-1A, New Town,
Rajarhat, Kolkata, West Bengal-700156.
2. The Chairman,
Singareni Colliery Company Ltd.
Singareni Head Office, SCCL,
Kothagudem,
Bhadradi Kothagudem District,
Telengana State, Pin-507101

Sub: Amendment of certain provisions of Coal Mines Pension Scheme (CMPS), 1998 vide Gazette Notification No. G.S.R. 119(E) dated 22.02.2023 -reg.

Sir,

I am to enclose herewith copy of Gazette Notification No. G.S.R. 119(E) dated 22.02.2023 in respect of Coal Mines Pension (Amendment) Scheme, 2023 for your kind information, wide circulation and implementation among all concerned.

It is, therefore, requested to take necessary action as per provisions contained in the Coal Mines Pension (Amendment) Scheme, 2023.

Yours faithfully

Encl: As above(06 Pages)


(V. K. Mishra)
Commissioner

Copy to:

1. All BoT Members(CMPFO).
2. DDG(CMPF), Ministry of Coal, Government of India, Lok Nayak Bhawan, 5th Floor, Khan Market, New Delhi-110003.
3. Shri Alok Verma, Under Secretary(CMPF), Ministry of Coal, Shastri Bhawan, New Delhi-110001 with reference to MoC's letter No.20011/5/2017-CMPF-Part(I), dated 24.02.2023.
4. CMDs of all subsidiaries of Coal India Limited and SCCL, DVC, IISCO, TISCO, J&K Minerals etc for immediate compliance of the notification.
5. All Officers of CMPFO, HQRS, Dhanbad.
6. All Regional Head of Regional Office, CMPFO, Dhanbad - for necessary compliance.
7. EDP Section - For uploading in the web-site.


(V. K. Mishra)
Commissioner



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22022023-243796
CG-DL-E-22022023-243796

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 97]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 22, 2023/फाल्गुन 3, 1944

No. 97]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 22, 2023/PHALGUNA 3, 1944

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2023

सा.का.नि. 119(अ).—केन्द्रीय सरकार, कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 7 के साथ पठित धारा 3ड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोयला खान पेंशन योजना, 1998 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इस योजना का संक्षिप्त नाम कोयला खान पेंशन (संशोधन) योजना, 2023 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. कोयला खान पेंशन स्कीम, 1998 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के पैरा 2 में,-

(i) उप पैरा(ड) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

'(ड) "पेंशन योग्य आयु" का अर्थ है साठ वर्ष की आयु;

(ii) उप-पैरा(प) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

'(प) "अधिवर्षिता" एक कर्मचारी के संबंध में जो पेंशन योजना का सदस्य है, का अर्थ उक्त कर्मचारी द्वारा साठ वर्ष की आयु प्राप्त करना अभिप्रेत है, जिसको उसका नियोजन समाप्त हो जाता है:'

3. उक्त स्कीम में, पैरा 5 में,-

(i) उप पैरा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1क) भविष्य निधि स्कीम और पेंशन स्कीम के अधीन दिए गए "पति या पत्नी" और परिवार के विवरण के संबंध में नामांकन इस पैरा के प्रयोजन के लिए समान होगा।";

(ii) उप पैरा (3) में, "पत्नी/पति" पद के स्थान पर "पति या पत्नी" शब्द रखा जाएगा।

4. उक्त स्कीम में, पैरा 8 में,-

(i) उप पैरा(1) में, "30वें दिन को या उससे पहले" शब्दों, अंकों और अक्षरों को निम्नलिखित शब्दों को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"के बंद होने के पंद्रह दिनों के भीतर";

(ii) उप पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) 01अक्टूबर, 2017से प्रत्येक नियोक्ता देय मूल वेतन के सात प्रतिशत के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा जिसे इस स्कीम के पैरा 3 के खंड (छ) के संदर्भ में कर्मचारी के परिवर्तनीय महंगाई भत्ते को नियोक्ता के अंशदान के रूप में निधि में अंतरित किया जाएगा।

5. उक्त स्कीम में, पैरा 9 के, उप पैरा (2) में, पैरा 3 के "खंड (ख), (ग), (घ), (ङ) और (च)", के स्थान पर शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक के स्थान पर पैरा 3 के "खंड(ङ), (च) और (छ)" शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक को रखा जाएगा।

6. उक्त स्कीम के, पैरा 10 में, उप पैरा(3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप पैरा को रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(3) जहां एक कर्मचारी ने दस वर्ष की पेंशन योग्य सेवा पूरी कर ली है और पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, वहां ऐसे कर्मचारी को देय मासिक पेंशन की रकम अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट आधार पर निर्धारित की जाएगी।"

7. उक्त स्कीम में, पैरा 15 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"15. पेंशन की रकम - पेंशन योजना के उपबंधों के अधीन पेंशन का हकदार कर्मचारी 'न्यू सहज' प्रारूप में पेंशन के लिए आवेदन कर सकता है, और पेंशन की स्वीकार्य राशि प्राप्त करेगा।"

8. उक्त स्कीम में, पैरा 16 का लोप किया जाएगा।

9. उक्त स्कीम में, पैरा 17 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"17. बकाया लाभ का भुगतान- जहां किसी कर्मचारी की सेवा में मृत्यु हो जाती है या साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् और स्कीम के उपबंधों के अधीन प्रोद्भूत कुछ रकम का भुगतान नहीं किया गया है, तब ऐसी राशियों का भुगतान जीवित पति या पत्नी के न होने की स्थिति में जीवित बच्चों को समान हिस्से में, या जहां कोई पति या पत्नी और बच्चे नहीं हैं, तो नाम निर्देशिनी को किया जाएगा।"

10. उक्त स्कीम के, पैरा 19 में,-

(i) उप पैरा(1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) आयुक्त प्रत्येक वर्ष बोर्ड के समक्ष अलग से संभावित प्राप्तियों और व्यय को दर्शाते हुए एक बजट पेश करेगा जिसको उस वर्ष के अप्रैल के पहले दिन से शुरू होने वाले वर्ष के दौरान खर्च होने की उम्मीद है और बोर्ड द्वारा अनुमोदित बजट बोर्ड के समक्ष रखे जाने के एक महीने की अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार को मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।"

(ii) उप-पैरा (3) में, "और वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले इसके लिए केंद्र सरकार का अनुमोदन भी प्राप्त किया जाएगा" शब्दों को हटा दिया जाएगा।

11. उक्त स्कीम में, प्रारूप पीएस-6 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रारूप से रखा जाएगा, अर्थात्:-

"FORM 'NEW SAHAJ

(पैरा 15 देखें)

"प्रारूप 'नया सहज'

CLAIM FORM FOR PROVIDENT FUND REFUND AND PENSION

भविष्य निधि वापसी एवं पेंशन दावा के लिए प्रारूप

(For all kinds of Provident Fund and Pension Claims)

सभी प्रकार के भविष्य निधि एवं पेंशन दावा के लिए

SL. No. क्र. सं.	PERSONAL INFORMATION व्यक्तिगत सूचना		
1.	NAME OF MEMBER (in Block Letter) सदस्य का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)		Please affix passport size color photograph of member or claimant. Photograph must be Countersigned/Attested by Authorized Officer of Colliery Management. कृपया सदस्य/दावाकर्ता का रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं जो कोलियरीप्रबंधन के अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित/अभिप्रमाणित हो।
2.	FATHER'S/HUSBAND'S NAME पिता/ पति का नाम		
3.	CMPF A/C NO. सी एस पी एफ खाता सं.		
4.	PIS No./EMPLOYEE NO. पी आई एस संख्या/कर्मचारी संख्या		
5.	COAL SOCIAL SECURITY NO. कोल सामाजिक सुरक्षा संख्या		
6.	AADHAAR NO. आधार संख्या		
7.	PAN NO. पैन संख्या		Please affix passport size color photograph of Member Jointly with spouse. Countersigned/Attested by Authorized Officer of Colliery Management. कृपया सदस्य के पत्नी सहित रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं जो कोलियरीप्रबंधन के अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित/अभिप्रमाणित हो।
8.	EMAIL ID ई मेल आईडी		
9.	CONTACT/MOBILE NO. संपर्क / मोबाईल संख्या		
10.	DATE OF BIRTH जन्म की तारीख		
11.	DATE OF APPOINTMENT नियुक्ति की तारीख		
12.	DATE OF CESSATION समाप्ति की तारीख		
13.	DATE OF DEATH (WHERE APPLICABLE) मृत्यु की तारीख (जहां लागू)		
14.	NAME OF SPOUSE/CLAIMANT पति/पत्नी / दावाकर्ता के नाम		

15.	AADHAAR NO. OF SPOUSE/CLAIMANT पति/पत्नी / दावाकर्ता का आधार संख्या	
16.	PAN NO. OF SPOUSE/CLAIMANT पति/पत्नी / दावाकर्ता के पैन संख्या	
17.	RELATIONSHIP WITH MEMBER सदस्य के साथ संबंध	

18. DETAILS OF SERVICE: सेवा के विवरण

NAME OF UNIT ईकाई के नाम	REGISTRATION NO. रजिस्ट्रेशन संख्या	FROM (DATE) से (तारीख)	TO (DATE) तक (तारीख)	REMARKS टिप्पणी
(PLEASE ENCLOSE SEPARATE SHEET) (कृपया अलग से पन्ना संलग्न करें)				

19. TOTAL RECKONABLE SERVICE 1. UPTO 3/89 _____ 2. FROM 3/90 TO _____ = _____
कुल गणना सेवा 1. 3/89 तक..... 2. 3/90 से

20. AVERAGE NOTIONAL SALARY OF LAST TEN MONTHS (Please enclose separate sheet) _____
अंतिम दस माह का औसत अनुमानित वेतन (कृपया अलग से पन्ना संलग्न करें)

21. DETAILS OF FAMILY (FOR PROVIDENT FUND REFUND AND PENSION): To be filled after death of Member

परिवार का विवरण (पीएफ एवं पेंशन वापसी हेतु) : सदस्य के मृत्यु पश्चात् भरा जाए

SL NO. क्र. सं.	NAME OF FAMILY MEMBERS परिवार के सदस्यों का नाम	RELATIONSHIP संबंध	Age at the time of member's death सदस्य के मृत्यु के समय आयु	Marital Status (at the time of member's death) वैवाहिक स्थिति (सदस्य के मृत्यु के समय)	REMARKS (Parents dependency & Husband of married daughter alive or not to be shown) अभियुक्ति (माता-पिता की पराश्रिता और विवाहित पुत्री का पति जीवित है या नहीं बताया जाय)
1.	Please enclose Ref-5 (Schedule "C") in death cases (wherever it is applicable). मृत्यु दावा में कृपया संदर्भ-5 संलग्न करें (अनुसूची "सी") (जो लागू हो)				
2.	Please enclose Ref-6 (wherever it is applicable). कृपया संदर्भ-6 संलग्न करें (जो लागू हो)				

22. Address for correspondence (as per Colliery Records) _____
पत्राचार का पता (कोलियरी के रिकार्ड के अनुसार)

23. Bank Particulars
बैंक विवरणी

1. Name of Account Holder _____
खाता धारक का नाम
2. Name of Bank Branch _____
बैंक शाखा का नाम
3. SB A/C No. _____
बचत बैंक खाता सं.
4. IFSC No. _____
आईएफएससी सं.
5. MODE OF OPERATION _____
संचालन का तरीका
(F&S Mode for employee/Single mode for other than employee)
(कर्मचारी के लिए एफ एंड एस मोड/ कर्मचारी के अतिरिक्त अन्य के लिए एकल मोड)

24. Certified that above particulars furnished by me is correct and nothing wrong information has been provided by me. I declare that I have not remarried after death of member (In case of widow pension).
प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दिया गया उपयुक्त विवरण सही है एवं कोई गलत सूचना नहीं दी गई है। मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने सदस्य की मृत्यु के पश्चात पुनर्विवाह नहीं किया है (विधवा पेंशन दावा में लागू)

(Signature/Thumb impression & Name of Member/Claimant)
सदस्य/दावाकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

(Signature/Thumb impression & Name of
पति/पत्नी/नामनिर्देशिनी का नाम एवं हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान)

25. Certified that the particulars of the Employee and that of his/her family are correct and in accordance with the Service Records maintained by the Colliery Management. Further above particulars have also verified by me and found correct. प्रमाणित किया जाता है कि सदस्य एवं उनके परिवार का विवरण कॉलरी प्रबंधन के सेवा रिकार्ड के अनुसार सही है। उपर्युक्त विवरण मेरे द्वारा सत्यापित किया गया है एवं जो सही पाया गया है।

(Signature/Name & Office Seal of Colliery Manager)".

(कौलरी प्रबंधक का नाम/हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर)

[फा. सं. 20011/5/2017-सीएमपीएफ- भाग(1)]

संतोष, उप महानिदेशक

टिप्पण: कोयला खान पेंशनस्कीम, 1998 को सा.का.नि.123 (ड), तारीख 5 मार्च, 1998 के द्वारा प्रकाशित किया गया था और पश्चातवर्ती संशोधन निम्नलिखित संख्याओं द्वारा किया गया: -

1. सा.का.नि.268 (अ), तारीख 25 मई, 1998;
2. सा.का.नि.218 (अ), तारीख 22 मार्च, 1999;
3. सा.का.नि.689 (अ), तारीख 29 अगस्त, 2000;
4. सा.का.नि. 256 (अ), तारीख 12 अप्रैल, 2001;
5. सा.का.नि. 861 (अ), तारीख 23 नवंबर, 2001;
6. सा.का.नि. 16 (अ), तारीख 09 जनवरी, 2002;
7. सा.का.नि. 482 (अ), तारीख 08 जुलाई, 2002;
8. सा.का.नि.107 (अ), तारीख 13 फरवरी, 2003;
9. सा.का.नि.108 (अ), तारीख 13 फरवरी, 2003;
10. सा.का.नि.521 (अ), तारीख 12 अगस्त, 2004;
11. सा.का.नि.403, तारीख 19 नवंबर, 2004;
12. सा.का.नि. 154 (अ), तारीख 5 मार्च, 2009;
13. सा.का.नि. 348 (अ), तारीख 22 मई, 2009;
14. सा.का.नि. 774 (अ), तारीख 22 अक्टूबर, 2009; तथा
15. सा.का.नि. 540 (अ), तारीख 08 जून, 2018

स्पष्टीकारक ज्ञापन: कोयला खान पेंशन स्कीम, 1998 के पैरा 15 में उपबंधों को कोयला खान भविष्य निधि संगठन के न्यासी बोर्ड द्वारा तारीख 13 दिसंबर, 2010 को आयोजित अपनी 152 वीं बैठक में हटाने के लिए प्रस्तावित और स्वीकार किया गया था। इसकी अधिसूचना के लिए प्रस्ताव कोयला खान भविष्य निधि संगठन द्वारा तारीख 4/5 मार्च, 2011 के अपने पत्र संख्या सीपीएफ/सीपी/116(7)/राजपत्र अधिसूचना/ जिल्द- II/ 1372 / 11687 के द्वारा कोयला मंत्रालय को भेजा गया था। लंबित अधिसूचना, कोयला खान पेंशन स्कीम, 1998 के पैरा 15 के अधीन उपबंधों को कोयला खान भविष्य निधि संगठन ने तारीख 4 मार्च 2011 के परिपत्र संख्या 18 द्वारा न्यासी बोर्ड के निर्णय को प्रभावी करते हुए 2011 के अपने प्रशासनिक कार्यालय आदेश संख्या 17, तारीख 4 मार्च, 2011 के अधीन वापस ले लिया था।

वर्तमान अधिसूचना में प्रशासनिक आदेश को विधिक प्रास्थिति देने के लिए, कोयला खान पेंशन स्कीम, 1998 के पैरा 15 के अधीन लाभों को वापस लेना तारीख 21 फरवरी, 2011 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी है। इस तरह के भूतलक्षी प्रभाव का विद्यमान लाभार्थियों या पेंशनभोगी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2023

G.S.R. 119(E).—In exercise of the powers conferred by section 3E read with section 7 of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 (46 of 1948), the Central Government hereby makes the following scheme further to amend the Coal Mines Pension Scheme, 1998, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) This scheme may be called the Coal Mines Pension (Amendment) Scheme, 2023.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Coal Mines Pension Scheme, 1998 (hereinafter referred to as the said scheme), in paragraph 2,-
 - (i) for sub-paragraph (m), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-
‘(m) “pensionable age” means the age of sixty years;’
 - (ii) for sub-paragraph (u), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-
‘(u) “superannuation” in relation to an employee who is a member of the Pension Scheme means the attainment of sixty years of age by the said employee on which employment is vacated;’
3. In the said scheme, in paragraph 5,-
 - (i) after sub-paragraph (1), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-
“(1A) The nomination regarding spouse and family particulars given under the Provident Fund Scheme and the Pension Scheme shall be the same for the purpose of this paragraph.”;
 - (ii) in sub-paragraph (3), for the expression “wife/husband”, the word “spouse” shall be substituted.
4. In the said scheme, in paragraph 8,-
 - (i) in sub-paragraph (1), for the words, figures and letters “on or before the 30th day of” the following words shall be substituted, namely:-
“within fifteen days of the close of”;
 - (ii) for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-
“(2) With effect from the 1st October, 2017, every employer shall be responsible for payment of seven per cent. of the payable basic and variable dearness allowance of the employee to be transferred to the fund as employer share in terms of clause (g) of paragraph 3 of this Scheme.”
5. In the said scheme, in paragraph 9, in sub-paragraph (2), for the words, brackets, letters and figure “clauses (b), (c), (d), (e) and (f) of paragraph 3”, the words, brackets, letters and figure “clauses (e), (f) and (g) of paragraph 3” shall be substituted.
6. In the said scheme, in paragraph 10, for sub-paragraph (3), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-
“(3) Where an employee having completed ten years of pensionable service and would be attaining the age of fifty years, the amount of monthly pension payable to such employee shall be determined on the basis specified in Schedule-2.”
7. In the said scheme, for paragraph 15, the following paragraph shall be substituted, namely:-
“15. Amount of pension. - An employee entitled for pension under the provisions of the pension scheme may make an application for pension in Form 'NEW SAHAJ', and shall draw the admissible amount of pension.”
8. In the said scheme, paragraph 16 shall be omitted.
9. In the said scheme, for paragraph 17, the following paragraph shall be substituted, namely:-
“17. Payment of outstanding benefits. - Where an employee dies in service or after attaining the age of sixty years and certain amounts accrued under the provisions of the scheme have not been paid, such amounts shall be paid in equal share to the surviving spouse or in case there is no spouse, to the surviving children in equal share, or where there is no spouse and children, to the nominee.”

10. In the said scheme, in paragraph 19,-

(i) for sub-paragraph (1), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

“(1) The Commissioner shall place before the Board each year a budget showing separately probable receipts and expenditure which is expected to be incurred therefrom during the year commencing on the first day of April of that year and the budget as approved by the Board shall be submitted for sanction to the Central Government within a period of one month of its being placed before the Board.”

(ii) in sub-paragraph (3), the words “and the approval of Central Government shall also be obtained for the same before the expiration of the financial year” shall be omitted.

11. In the said scheme, for Form PS-6, the following Form shall be substituted, namely:-

“FORM ‘NEW SAHAJ

(See paragraph 15)

नया सहज’

CLAIM FORM FOR PROVIDENT FUND REFUND AND PENSION

भविष्य निधि वापसी एवं पेंशन दावा के लिए फॉर्म

(For all kinds of Provident Fund and Pension Claims)

सभी प्रकार के भविष्य निधि एवं पेंशन दावा के लिए

SL. No. क्र. सं.	PERSONAL INFORMATION व्यक्तिगत सूचना		
1.	NAME OF MEMBER (in Block Letter) सदस्य का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)		Please affix passport size color photograph of member or claimant. Photograph must be Countersigned/Attested by Authorized Officer of Colliery Management. कृपया सदस्य/दावाकर्ता का रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं जो कोलियरी प्रबंधन के अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित/अभिप्रमाणित हो।
2.	FATHER'S/HUSBAND'S NAME पिता/पति का नाम		
3.	CMPF A/C NO. कोखा भ नि लेखा संख्या		
4.	PIS No./EMPLOYEE NO. पी आई एस संख्या/कर्मचारी संख्या		
5.	COAL SOCIAL SECURITY NO. कोल सामाजिक सुरक्षा संख्या		
6.	AADHAAR NO. आधार संख्या		Please affix passport size color photograph of Member Jointly with spouse. Countersigned/Attested by Authorized Officer of Colliery Management. कृपया सदस्य के पत्नी सहित रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं जो कोलियरी प्रबंधन के अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित/
7.	PAN NO. पैन संख्या		
8.	EMAIL ID ई मेल आईडी		
9.	CONTACT/MOBILE NO. संपर्क / मोबाईल संख्या		
10.	DATE OF BIRTH जन्म तिथि		
11.	DATE OF APPOINTMENT नियुक्ति की तिथि		

12.	DATE OF CESSATION समाप्ति की तिथि		अभिप्रमाणित हो।
13.	DATE OF DEATH (WHERE APPLICABLE) मृत्यु की तिथि (जहां लागू)		
14.	NAME OF SPOUSE/CLAIMANT पति/पत्नी / दावाकर्ता के नाम		
15.	AADHAAR NO. OF SPOUSE/CLAIMANT पति/पत्नी / दावाकर्ता का आधार संख्या		
16.	PAN NO. OF SPOUSE/CLAIMANT पति/पत्नी / दावाकर्ता के पैन संख्या		
17.	RELATIONSHIP WITH MEMBER सदस्य के साथ संबंध		

18. DETAILS OF SERVICE: सेवा के विवरण

NAME OF UNIT ईकाई के नाम	REGISTRATION NO. पंजीयन संख्या	FROM (DATE) से	TO (DATE) तक	REMARKS अभियुक्ति
(PLEASE ENCLOSE SEPARATE SHEET) (कृपया अलग से संलग्न करें)				

19. TOTAL RECKONABLE SERVICE 1. UPTO 3/89 _____ 2. FROM 3/90 TO _____ = _____
कुल गणना सेवा 1. 3/89 तक..... 2. 3/90 से तक

20. AVERAGE NOTIONAL SALARY OF LAST TEN MONTHS (Please enclose separate sheet) _____
अंतिम दस माह का औसत अनुमानित वेतन (कृपया अलग से संलग्न करें)

21. DETAILS OF FAMILY (FOR PROVIDENT FUND REFUND AND PENSION): To be filled after death of Member

परिवार का विवरण (पीएफ एवं पेंशन वापसी हेतु) : सदस्य के मृत्यु उपरांत भरा जाए

SL NO. क्र. सं.	NAME OF FAMILY MEMBERS परिवार के सदस्यों का नाम	RELATIONSHIP संबंध	Age at the time of member's death सदस्य के मृत्यु के समय आयु	Marital Status (at the time of member's death) वैवाहिक स्थिति (सदस्य के मृत्यु के समय)	REMARKS (Parents dependency & Husband of married daughter alive or not to be shown) अभियुक्ति (माता-पिता की पराश्रिता और विवाहित पुत्री का पति जीवित है या नहीं बताया जाय)
1.	Please enclose Ref-5 (Schedule "C") in death cases (wherever it is applicable). मृत्यु दावा में कृपया रेफ-5 संलग्न करें (अनुसूची "सी") (जो लागू हो)				
2.	Please enclose Ref-6 (wherever it is applicable). कृपया रेफ-6 संलग्न करें (जो लागू हो)				

22. Address for correspondence (as per Colliery Records) _____
पत्राचार का पता (कोलियरी के रिकार्ड के अनुसार)

23. Bank Particulars

बैंक विवरणी

1. Name of Account Holder _____
खाता धारक का नाम
2. Name of Bank Branch _____
बैंक शाखा का नाम
3. SB A/C No. _____
बचत बैंक खाता सं.
4. IFSC No. _____
आईएफएससी सं.
5. MODE OF OPERATION _____
संचालन का तरीका

(F&S Mode for employee/Single mode for other than employee)

(सदस्य के लिए एफ एंड एस मोड/ सदस्य के अतिरिक्त अन्य के लिए एकल मोड)

24. Certified that above particulars furnished by me is correct and nothing wrong information has been provided by me. I declare that I have not remarried after death of member (In case of widow pension).

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दिया गया उपर्युक्त विवरण सही है एवं कोई गलत सूचना नहीं दी गई है। मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने सदस्य की मृत्यु के पश्चात पुनर्विवाह नहीं किया है (विधवा पेंशन दावा में लागू)

(Signature/Thumb impression & Name of Member/Claimant)

(Signature/Thumb impression & Name of Spouse/nominee)

(सदस्य/दावाकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान)

(पति/पत्नी/नामित का नाम एवं हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान)

25. Certified that the particulars of the Employee and that of his/her family are correct and in accordance with the Service Records maintained by the Colliery Management. Further above particulars have also verified by me and found correct.

प्रमाणित किया जाता है कि सदस्य एवं उनके परिवार का विवरण कॉलरी प्रबंधन के सेवा रिकार्ड के अनुसार सही है। उपर्युक्त विवरण मेरे द्वारा सत्यापित किया गया है एवं जो सही पाया गया है।

(Signature/Name & Office Seal of Colliery Manager)*.

(कोलियरी प्रबंधक का नाम/हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर)

[F. No.20011/5/2017-CMPF-Part(1)]

SANTOSH, Dy. Director General

Note: The Coal Mines Pension Scheme, 1998 was published vide number G.S.R. 123 (E), dated the 5th March, 1998 and subsequently amended vide the following numbers: -

1. G.S.R. 268 (E), dated the 25th May, 1998;
2. G.S.R. 218 (E), dated the 22nd March, 1999;
3. G.S.R. 689 (E), dated the 29th August, 2000;
4. G.S.R. 256 (E), dated the 12th April, 2001;
5. G.S.R. 861 (E), dated the 23rd Nov., 2001;
6. G.S.R. 16 (E), dated the 9th January, 2002;
7. G.S.R. 482 (E), dated the 8th July, 2002;
8. G.S.R. 107 (E), dated the 13th February, 2003;
9. G.S.R. 108 (E), dated the 13th February, 2003;
10. G.S.R. 521 (E), dated the 12th August, 2004;

11. G.S.R. 403, dated the 19th November, 2004;
12. G.S.R. 154 (E), dated the 5th March, 2009;
13. G.S.R. 348 (E), dated the 22nd May, 2009;
14. G.S.R. 774(E), dated the 22nd October, 2009; and
15. G.S.R. 540(E), dated the 08th June , 2018.

Explanatory Memorandum: Provisions in paragraph 15 of the Coal Mines Pension Scheme, 1998 were proposed and accepted for deletion by the Board of Trustees, Coal Mines Provident Fund Organisation in its 152nd meeting held on 13th December, 2010. The proposal for its notification was sent to the Ministry of Coal by the Coal Mines Provident Fund Organisation vide its letter number CPF/CP/116(7)/Gazette Notification/Vol-II/1372/11687, dated the 4th/5th March, 2011. Pending notification, the provisions under paragraph 15 of the Coal Mines Pension Scheme, 1998 were withdrawn by the Coal Mines Provident Fund Organisation vide its Administrative Office Order number 17 of 2011, dated the 4th March, 2011 and Circular number 18 of 2011, dated the 4th March, 2011, giving effect to the decision of the Board of Trustees.

To give legal status to the Administrative Order in the present notification, withdrawal of benefits under paragraph 15 of the Coal Mines Pension Scheme, 1998 is effective retrospectively from 21st February, 2011. Such retrospective effect will have no adverse impact on the existing beneficiaries or pensioners.